

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 173 से 175 /इंदौर/ 2019

निर्धारण वर्ष : 2001-02 से 2003-04

श्री पीतांबर वाधवानी, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी वार्ड 2 (3), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएसीपीडब्ल्यू 6714 बी		

अपीलार्थी की ओर से :	कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री राजीब जैन, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई तिथि :	06.12.2019
उद्घोषणा तिथि :	09.12.2019

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2003-04 के लिए निर्धारिती द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-I, इंदौर के अलग-अलग आदेशों सभी दिनांक 06.12.2018 के विरुद्ध दाखिल की गई हैं । इन अपीलों की सुनवाई के समय निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जबकि राजस्व की ओर से श्री राजीब जैन, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

2. यह अपीलें निर्धारिती द्वारा 21.02.2019 को दाखिल की गई थी जैसा कि इन अपीलों की आदेश पत्रक प्रविष्टियों से प्रकट है । इन अपीलों की सुनवाई दिनांक 06.12.2019 को नियत थी जिसके लिए निर्धारिती को फार्म सं. 36 में दिए गए पते पर रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रेषित किया गया था । यद्यपि, उक्त नोटिस डाक विभाग द्वारा "लेफ्ट" टिप्पणी के साथ तामील किए बिना वापिस कर दिया गया । दिनांक 06.12.2019 को भी इन अपीलों की सुनवाई के समय न तो निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित हुआ न ही कोई स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया । यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती उसकी अपीलों को जारी रखने का इच्छुक नहीं है । अतः, इन्हें अनिश्चित अवधि तक न्यायनिर्णयन हेतु लंबित नहीं रखा जा सकता । इस तथ्य की दृष्टि में, हमारा अभिमत है कि निर्धारिती की अपीलें खारिज करने योग्य हैं । हमारा दृष्टिकोण निम्नलिखित न्यायिक उद्घोषणाओं द्वारा समर्थित है-

- 1) 118 आईटीआर 461 में ज्ञापित (सुसंगत पृष्ठ 477 एवं 478) आयकर आयुक्त बनाम बी.एन. भट्टाचार्जी तथा अन्य के प्रकरण में, जिसमें न्यायाधिकारियों ने अभिधारित किया है-

" अपील का अर्थ केवल अपील दाखिल करना नहीं बल्कि उसका प्रभावी अनुसरण है।"

- 2) इस्टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयुक्त के प्रकरण, 223 आईटीआर 480 (म.प्र.), में निर्धारिती की प्रार्थना पर किए गए संदर्भ को व्यतिक्रम में खारिज करते हुए उनके आदेश में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया :

" यदि कोई पक्ष, जिसके अनुरोध पर संदर्भ किया गया है, सुनवाई में उपस्थित होने में विफल होता है या अभिलेख पुस्तिका तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने में, ताकि संदर्भ की सुनवाई की जा सकें, विफल होता है, तो न्यायालय संदर्भ का उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं है।"

- 3) आयकर आयुक्त बनाम मल्टीप्लान इन्डिया लिमिटेड के प्रकरण, 38 आईटीडी 320 (दिल्ली), में राजस्व द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल की गई थी जिसे सुनवाई हेतु नियत किया गया था। परंतु सुनवाई की तारीख पर, किसी ने राजस्व/ अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व नहीं किया न ही स्थगन हेतु कोई सूचना प्राप्त हुई थी। ऐसी कोई संसूचना या जानकारी नहीं थी कि क्यो राजस्व ने तारीख पर अनुपस्थित होने का विकल्प चुना। अधिकरण ने अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर, अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 19 के उपबंधों की दृष्टि में राजस्व द्वारा दाखिल अपील को अग्रह्य माना।

परिणामतः, निर्धारिती द्वारा दाखिल अपीलें अभियोजन नहीं करने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 09.12.2019 को खुले न्यायालय में विद्वान विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(कुल भारत)
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

दिनांक : 09.12.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल

